22-11-16 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी व वादी के वकील को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाज दिलाई जाने के उपरांत तथा कोर्ट 5.15 P.M. तक भी उपस्थित नहीं होने के कारण। वादी का वाद पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा